

औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि का पुनर्ग्रहण पूरा

जासं • सुलतानपुर: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जयसिंहपुर तहसील के कारेवन में जनपद का एक मात्र औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण पूरा हो गया है। शासन के निर्देश पर 31 हेक्टेयर भूमि किसानों से और ली जानी थी, लेकिन प्रस्तावित भूमि में नहर, कब्रिस्तान व श्मशान आ जाने से उसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। न ही उस भूमि का विनिमय हो सकता है। यह क्षेत्रफल करीब चार हेक्टेयर है। इस नाते प्रशासन ने उस भूमि को छोड़ दिया, शेष जमीन के अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया। अब उसका बैनामा कराने की तैयारी चल रही है। अधिग्रहीत की गई नई भूमि व क्रय करने से बची जमीन का बैनामा 30 नवंबर तक पूरा कराने के निर्देश तहसीलदार को दिए गए हैं।

प्रारंभिक दौर में गलियारे के लिए 304 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर उसकी खरीद शुरू की गई। इसके लिए लट्ठहवा, अमिलिया सिकरा, सेवई, कारेवन, चिरानेडीह



सुलतानपुर से होकर गुजरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे • जागरण

विशुनदासपुर, कल्याणपुर, चांदपुर, महमूदपुर सेमरी गांव के किसानों से भूमि ली गई। उसके बाद पुनः 27 हेक्टेयर जमीन लेकर 331 हेक्टेयर के खरीद की जिम्मेदारी तहसीलदार को दी गई।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एस. सुधाकरन कहते हैं कि पर्वों के समय कार्य थोड़ा प्रभावित हो गया था। अब इसमें फिर तेजी लाई जा रही है। इस माह के अंत तक भूमि क्रय का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए तहसीलदार को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में 260

हेक्टेयर से अधिक भूमि का 742 बैनामा करा लिया गया है। 1682 खातेदारों के खाते में करीब 244 करोड़ रुपये भी भेज दिए गए हैं।

पहली निवेशक कंपनी ने कराया बैनामा : जनपद में निवेश कर साइलो इकाई लगाने के लिए अदाणी ग्रुप भूमि की तलाश कर रहा था। ग्रुप द्वारा 15 एकड़ की मांग की गई थी। कहीं भी इतनी सरकारी भूमि उपलब्ध न होने पर किसानों से खरीदने के लिए भूमि की तलाश शुरू हुई। उद्योग विभाग, राजस्व विभाग भूमि के क्रय के लिए समन्वय की भूमिका में रहा।

किसानों से ली जा चुकी 260 हेक्टेयर से अधिक जमीन, शासन के निर्देश पर 31 हेक्टेयर भूमि किसानों से और ली जानी थी

मुश्किल से बल्दीराय तहसील के इटवा मलनापुर में 2.2258 हेक्टेयर का बैनामा कराया गया है। दो किसानों से भूमि की खरीद इन्फ्राडाइजेस्ट डेवलपर्स प्रांलि. पुणे के पक्ष में किया गया है। अब कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से बल्दीराय तहसील में भूमि की प्रकृति बदलने यानि कृषि से अकृषि करने के लिए आवेदन किया गया है। यह कंपनी साइलो यानि अन्नागार तैयार करेगी। एडोएम एफआर कहते हैं कि यह कंपनी अदाणी ग्रुप की है, यह हम कह नहीं सकते। क्योंकि बैनामे के कागजात में कहीं ग्रुप का जिक्र नहीं है। उद्योग मित्र पीयूष दीक्षित बताते हैं कि मेरा कोआर्डिनेशन अदाणी ग्रुप के अधिकारियों से चल रहा है। उसी ग्रुप द्वारा यह नई कंपनी लांच की गई है। भूमि अदाणी ग्रुप को ही दिलाई गई है।